199

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, अमरपुर
जिला– बॉका

महाशय,

नगर पंचायत, अमरपुर के वर्ष 2013–14 से 15–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 236/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14576/152 **दिनांक–** 30.08.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, बॉका

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र प्राप्ति
05 SEP 2016
06 SEP 2016
8420

नगर पंचायत अमरपुर
नि0प्र0सं0–236 / 16–17
(अवधि–2013–14 से 2015–16)

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	**नगर पंचायत, अमरपुर (बाँका)**
2	परीक्षित लेखा की अवधि	**2013–14 से 2015–16**
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट–II में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	18.04.2016 से 26.04.2016 तक
5	प्रशासन	
क	मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	1.श्री सदानन्द महतो	1.4.13 से 31.3.16
	उप मुख्य पार्षद	
	1. श्रीमती नीलम सिंह	1.4.13 से 31.3.16
ख	कार्यपालक पदाधिकारी	
	1. श्री प्रभात कुमार, बि.प्र.से.	1.4.13 से 14.2.14
	2.श्री आलोक कुमार, बि.प्र.से.	14.2.14 से 31.8.15
	3. श्री राकेश कुमार, बि.प्र.से.	31.8.15 से 5.9.15
	4. श्री सत्येन्द्र प्र.वर्मा	5.9.15 से 31.3.16
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री अमर नाथ कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री नागेन्द्र कुमार यादव, सहायक लेखापरीक्षाअधिकारी श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह, वरीय लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राजीव कुमार–1, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय ताकि लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके ।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ (दिनांक 27.04.2016 को)

197

11. लेखापरीक्षा परिणाम

i	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	रू. 64540
ii	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	रू. 4634862
iii	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	रू. 28520107.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट iv पर)

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/ कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

12. बजट प्राक्कलन में विचलन

नियमानुसार बजट प्राक्कलन व वास्तविक में (+,–)10 प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए। परंतु तैयार बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक में प्राप्ति में (–287) प्रतिशत से (–875)प्रतिशत तथा व्यय में (–20) प्रतिशत तक का विचलन था। विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	प्राप्ति			व्यय		
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	विचलन प्रतिशत	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	विचलन प्रतिशत
2013–14	6948855	30359777	–337	13582932	16314004	(–)20
2014–15	7800000	76070284	–875	31500000	32621408	(–)3-56
2015–16	21300000	8250559	–287	82000000	75617022	7.78

प्राप्ति नें विचलन का प्रतिशत बहुत अधिक था। प्राक्कलन से काफी अधिक वास्तविक प्राप्ति था।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि आगे आपत्ति के अनुसार बजट प्राक्कलन बनाया जाएगा ।

भविष्य में इसका अनुपालन किया जाए ।

13. सरकारी अनुदान

नियमानुसार सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है।

कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक प्राप्त सरकारी अनुदान की विवरणी जो अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया, के अनुसार तीन वर्षों के दौरान रू. 160371524 प्राप्त हुए थे । अनुदान पंजी संधारित नहीं किए जाने के कारण ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर लिया जाएगा। भविष्य में इसका अनुपालन किया जाए ।

14: आय–व्यय सामान्य रोकडपंजी

कार्यालय नगर पंचायत, अमरपुर वर्श 2013–14 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा में लेखापाल रोकडपंजी का संधारण नहीं किया गया था । लेखापरीक्षा में सामान्य रोकडपंजी प्रस्तुत की गयी जिसका आय–व्यय निम्नवत् है:

वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	31517647.82	45563420.37	89012296.37
वर्ष की प्राप्ति	30359777	76070284	82505591
कुल प्राप्ति	61877424.82	121633704.37	171517887.37
व्यय	16314004.45	32621408	75617022
अंतशेष	45563420.37	89012296.37	95900865.37

रोकडबही का अंतशेष रू. 95900865.37

अंकेक्षण टिप्पणी:

(क) रोकड पंजी के अंतशेष विवरणी में दर्ज सभी बैक खातों का अद्यतन /विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया ।

(ख) सामान्य रोकड़ पंजी में दिनांक 31.03.2016 को अंतशेष की विस्तृत विवरणी दर्ज है जो निम्नवत है:–

१९५

1	विभिन्न बैक खातों की राशि	रू 24113349.97
2	P/Lखाता की राशि	रू 71654367.00
3	अभिश्रव	रू 34664.00
4	अग्रिम	रू 332600.00
5	एक ताला (नगद)	रू 13479.00
6	बैक से नही भुनाये गये चेक की राशि	रू 247595.00
	कुल	रू. 95900864.97

I. उपर्युक्त विवरणी में नगद राशि के रूप में रू 13479 रखा गया था, जिसे अविलम्ब सरकारी खाते में जमा की जाय के जवाब में कहा गया कि यथाशीघ्र बैंक में जमा कर दिया जाएगा। अतः राशि 13479 यथाशीघ्र नगर पंचायत निधि में जमा कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

II. अभिश्रव राशि का समायोजन नहीं करने के संबंध में जवाब दिया गया कि समायोजित कर दिया जाएगा। क्या बैंक में प्रस्तुत किया गया था। बैंक से नहीं भुनाने के संबंध में जवाब दिया गया कि 31.3.16 तक पार्टी द्वारा कैश नहीं कराया गया ।

(ग) स्वयं स्रोत के लिए तीन सहायक रोकडपंजी 1. राजस्व रोकडपंजी 2. विविध पंजी एवं जे.सी.बी. से प्राप्त राशि की रोकडपंजी संधारित की गयी है। स्वयं के स्रोत हेतु एक सहायक रोकडबही संधारित किया जाय एवं इसके लिए एक बैंक खाता रखी जाय। उपर्युक्त रोकडपंजी में राजस्व प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य मदों यथा प्रशासनिक भवन की राशि दर्ज की गयी है । जिसका सार नीचे है:

विवरण	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**
1. प्रारंभिक शेष	6754530	16940908	17642516
2. प्राप्ति			
क. होल्डिंग टैक्स	308626	1221506	1356922
ख. मोबाईल टावर	60000	8000	8000
ग. बी.ओ.क्यू.	41000	180111	212700
घ. जे.सी.बी.	0	130492	615700
ड. सूद	27523	54720	21558
च. अन्य	12898493	844351	653529
कुल (क से च तक)	13335642	2439180	2868409

3. कुल प्राप्ति (1 योग 2)	20090172	19380088	20510925
4. व्यय	3149264	1737572	17954030
5. अंतशेष (3–4)	16940908	17642516	2556895

अतः एक मद हेतु एक रोकडपंजी एवं एक बैंक खाता ही संधारित किया जाना चाहिए।

भाग– I I

खण्ड–क–शून्य

खण्ड–ख

कंडिका 1: सफाई पर अनियमित व्यय रू. 6.24 लाखः–

जीवन ज्योति, सौंताडीह, बांका को 18.9.2014 से सभी चौदह वार्ड में सफाई कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया । नवम्बर 2015 तक कुल राशि रू. 3047565 का भुगतान किया गया था जिसमें से राशि रू. 194148 शिवम जन स्वास्थ्य , पटना को सफाई कार्य का भुगतान भी भाामिल था ।

अंकेक्षण टिप्पणीः

1. कार्यादेश/एकरारनामा से परे भुगतानः कार्यादेश/एकरारनामा में ट्रैक्टर ड्राईवर, एवं जे.सी.बी. डीजल के भुगतान का जिक्र नहीं था । इसके बावजूद इस पर राशि रू. 78764 का भुगतान संस्था को किया गया था(विवरण के 6 व 8 कॉलम)। कार्यादेश/एकरारनामा के परे भुगतान के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर ड्राईवर एवं जे.सी.बी. डीजल के लिए संस्था को नोटिस किया जाएगा ।
2. VIP कार्य :– संस्था के वित्तीय बीड में VIPकार्य हेतु प्रतिदिन 5 मजदुर का प्रावधान था । VIPकार्य में किस प्रकार का कार्य आता है जो प्रतिदिन होता है। विशेष अवसर मसलन श्रावणी मेला में अतिक्ति भुगतान किया गया था। 18.09.2014 से नवम्बर 2015 तक वी.आई.पी. कार्य (5 मजदूर प्रतिदिन) पर राशि रू. 325556 का भुगतान किया गया था।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अब वी.आई.पी. कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

3. भाड़े का प्रावधान :– ट्रैक्टर संस्था को सफाई कार्य हेतु दिया गया था परंतु भाड़े का प्रावधान नही था ट्रैक्टर का लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

भुगतान की विवरणी (परिशिष्ट– I I I)पर दर्ज

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जे.सी.बी. फर्म को नहीं दिया गया था सिर्फ ट्रैक्टर दिया गया था। दिनांक 11.1.16 के प्रस्ताव सं. 6 द्वारा प्रतिदिन का किराया रू. 500 ट्रैक्टर का निर्धारित किया गया है तदनुसार संस्था से किराया वसूली की जाएगी ।

इस प्रकार संस्था को अनियमित रूप से कुल राशि रू. 623820 का अधिक भुगतान किया गया था। यह ट्रैक्टर ड्राईवर व जे.सी.बी. डीजल के रूप में रू. 78764 भी.आई.पी. कार्य में रू. 325556 एवं फरवरी 2016 से मार्च 2016 तक ट्रैक्टर किराये की राशि रू. 1000 वसूलनीय है, साथ ही फरवरी 2016 के पूर्व भी उक्त संस्था को ट्रैक्टर दी गई थी, लेकिन कोई दर निश्चित नहीं किया गया था।

193

कंडिका 2: फॉगिंग मशीन (तेरहवीं वित्त आयोग)

चार अद्द फॉगिंग मशीन (ड्रैंगन) प्रति अद्द रू. 154000 (कर सहित) कुल राशि रू. 616000 व्यय कर में अमरपुर फर्टिलाईजर एजेंसी, अमरपुर को 14.11.14 को भुगतान कर क्रय किया गया था । आपूर्ति 3.11.14 को किया गया था ।

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. भुगतान के पूर्व वैट की राशि रू. 30800 तथा आयकर की राशि रू. 12320 की कटौती नहीं किया गया था। इस प्रकार फर्म को राशि रू. 43120 का अधिक भुगतान किया गया। कटौती नहीं करने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में कटौती नहीं की गई थी ।
2. मशीन की वारंटी 2 वर्ष की थी। भुगतान के पूर्व 5 प्रतिशत अर्थात् रू. 30800 की कटौती Performance Security के रूप में नहीं की गई थी । वर्तमान में चारों फॉगिंग मशीन की भौतिक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में कटौती नही की गई। चारों फॉगिंग मशीन चालू अवस्था में है ।

3. फॉगिंग मशीन की लॉग बुक 3.11.2014 से अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि लॉग बुक भविष्य में संधारित किया जाएगा ।

4. अग्रधन की राशि रू. 10000 जो बैंकर्स चेक दिनांक 4.9.14 से उक्त फर्म द्वारा दिया गया था जो अबतक नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार राशि रू.10000. की हानि हुई ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि फर्म को नवीकरण करने के लिए पत्र दिया जाएगा ।

5. क्रय समिति के सदस्य के रूप में जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अवर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी शामिल नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में आमंत्रित नहीं किया गया ।

6. आपूर्ति आदेश के क्र.सं. 6 के अनुसार गुणवत्ता की जांच उपरांत ही भुगतान की जाएगी के अनुसार जांच किनके द्वारा किया गया था संचिका में कोई उल्लेख नहीं है ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि भविष्य में गुणवत्ता की जॉच कर ही भुगतान किया जाएगा ।

इस प्रकार करों के रूप में रू. 43120 का अधिक भुगतान फर्म को दिया गया। राशि रू. 10000 अग्रधन के रूप में क्षति हुई जो वसूलनीय है। भविष्य में कय नियमों का पालन किया जाए।

कंडिका 3: डस्टबीन का कय (तेरहवीं वित आयोग) में नियमों का पालन नहीं:

14 अद्द लोहे का डस्टबीन प्रति अद्द रू. 27000 एवं 7 अद्द प्लास्टिक डस्टबीन प्रति अद्द रू. 34000 सभी कर सहित का कय मे. चंदन इंटरप्राइजेज, खगडिया से किया गया था । आपूर्ति 30.1.15 को किया गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत कुल बिल की राशि रू. 616000 में से राशि रू. 616000 का भुगतान 31.1.15 को किया गया था ।

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. वैट की राशि रू. 30800 तथा आयकर की राशि रू. 6100 की कटौती नहीं की गयी थी । इस प्रकार फर्म को अधिक भुगतान किया गया था ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में कटौती नहीं की गई।

2. 5 प्रतिशत Performance Security की कटौती नहीं की गयी थी। 1 वर्ष की वारंटी थी । वर्तमान भौतिक स्थिति एवं भंडार पंजी को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि सभी डस्टबीन कार्यशील अवस्था में है ।

3. आपूर्ति आदेश के क.सं.6 में गुणवत्ता जांच के उपरांत ही भुगतान करना था बिना जॉंच के ही उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि भविश्य में गुणवत्ता की जांच के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा ।

4. कय समिति के सदस्य के रूप में जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अवर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी शामिल किये जाने चाहिये थे।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि जानकारी के अभाव में आमंत्रित नहीं किया गया ।

इस प्रकार फर्म को राशि रू. 36900 का अधिक भुगतान किया गया जो इनसे वसूलनीय है । क्रय नियमों का पालन न करने के संबंध में मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

|९|

कंडिका 4: सम्पत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं होने से राजस्व की क्षति –रूपया 4.47 लाख

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(7) (iii) में यह वर्णित है कि प्रत्येक पाँच वर्ष पर सम्पत्ति कर का वार्षिक किराया मूल्य में 15% की वृद्धि करना है। नगर पंचायत अमरपुर में 01. 04.2006 के पश्चात् इसमें अब तक वृद्धि नहीं हुआ है जबकि इसे 01.04.2011 एवं 01.04.2016 को कराना था। नगर पंचायत अमरपुर का मकान कर का कुल वार्षिक माँग रू. 596533(उपलब्ध कराई गई विवरणी के अनुसार) था। अगर पाँच वर्ष के उपरांत 15 प्रतिशत की बंढोतरी अर्थात 596533.28 का 15% 89479 की जाती तो विगत 5 वर्षो में नगर पंचायत को रू. 447399 की प्राप्ति होती। 01.04.2011 को इसमें वृद्धि नहीं होने से 01.04.2011 से 31.03.2016 तक पाँच वर्ष में कुल राशि रूपया 447399 की सम्पत्ति कर की माँग से नगर पंचायत वंचित रहा।

वार्षिक किराया मूल्य में वृद्धि नहीं हुई के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि पुनरीक्षण के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। अब तक पुनरीक्षण नहीं होने से राशि रू. 447399 की क्षति हुई जो वसूलनीय है ।

कंडिका 5: सम्पत्ति कर की कम वसूली/अधिरोपण रूपया 26.84 लाख

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य की 9% से 15 % तक सम्पत्ति कर की अधिरोपण कर वसूली करना है।

परंतु नगर पंचायत अमरपुर में मात्र 6% ही अधिरोपित था जो 01.04.2006 से लागू था। अब तक 6% ही वसूली किया जा रहा था। न्यूनतम 3% प्रतिवर्ष (राशि रूपया 298266) की क्षति 01.04.2007 से हो रहा था, जो 9 वर्ष में राशि रूपया 2684394 हो गया। इस राशि से नगर पंचायत को वंचित होना पड़ा।

9% के स्थान पर 6 % ही अधिरोपित किया गया था के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अब 9 प्रतिशत की दर से वसूली की जा रही है ।

इस प्रकार 31.3.16 तक नगर पंचायत राशि रू. 2684394 से वंचित रहा जो वसूलनीय है ।

कंडिका 6: सी0 एफ0 एल0 लाईट का क्रय व अधिष्ठापन में वैट की कटौती नहीं, रू. 2.03 लाख:–

नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत बांका को आपूर्ति दर रूपया 2137 प्रति अदद पर आपूर्ति हेतु मेसर्स शुभम इंटरप्राइजेज, भागलपुर को 800 अदद की आपूर्ति आदेश दिया गया।

फर्म द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि रूपया 1709600 के विरूद्ध राशि रूपया 1709400 का भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. आपूर्ति आदेश में 100 वाट का पंजीकृत कम्पनी C.F.Lआपूर्ति करना था। कोटेशन में ORPAT/OREVA कम्पनी लिखा था।

परंतु जाँच प्रतिवेदन फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में वाट एवं कम्पनी का नाम नहीं दर्ज था।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि ओरेवा कंपनी का 100 वाट की आपूर्ति की गई।

2. सभी 800 अदद C.F.L का भंडार पंजी एवं वर्तमान भौतिक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि भंडार पंजी संधारित नहीं है। जॉचकर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाएगा ।

3. फर्म द्वारा वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। इसके बावजूद भी स्त्रोत पर वैट की कटौती नहीं किया गया। वैट के रूप में से राशि रूपया 203344 का भुगतान फर्म को ही कर दिया गया था। आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि फर्म को वैट की राशि की वसूली के लिए नोटिस किया जाएगा ।

अतः राशि रू. 203344 फर्म से वसूलनीय है। क्रय नियमों के पालन न किये जाने एवं वैट की कटौती नहीं किये जाने के संबंध में मामला विभागीय उच्चाधिकारी से संज्ञान में लाया जाता है।

कंडिका 7: वैट की कम कटौती रू. 4.16 लाखः

छह अदद हाई मास्ट लाईट प्रति अदद रू 730500 (सभी कर सहित) की दर से मे0 भाव्या इंटरप्राईजेज भागलपुर से किया गया था। चतुर्थ वित आयोग मद से फर्म की विपत्र की राशि रू. 4383000 के विरूद्ध वैट रू. 175320, आयकर रू. 87660 व सुरक्षित जमा राशि रू. 219150 की कटौती कर राशि रू. 3900000 का भुगतान फर्म को 27.12.14 से 24.7.15 के दौरान किया गया था ।

बिजली सामग्री पर वैट की दर 13.5 प्रतिशत उस समय प्रचलित था। इसके अनुसार रू. 591705 की कटौती करना था, परंतु इसके विरूद्ध मात्र रू. 175320 की ही कटौती की गयी थी ।

इस प्रकार राशि रू. 416385 की कम कटौती वैट के रूप में की गयी थी ।

कम कटौती के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि शेष राशि के लिए फर्म को नोटिस किया जाएगा । अतः राशि रू.416385 फर्म से वसूलनीय है ।

कंडिका 8: बिना जिला योजना समिति से पारित किए योजना का क्रियान्वयन राशि–रू. 7.40 करोड़

कार्यालय नगर पंचायत अमरपुर वर्ष 2013–14 –2015–16 तक के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत योजना विवरणी एवं योजना पंजी के अवलोकन में निम्न विन्दु पाया गया

(क) योजना की स्थिति

क्र0 सं0	मद	वर्ष	कुल यो0 की सं0	कुल प्रा0 राशि	कुल मापी की राशि	भौतिक पूर्ण	/ अपूर्ण
1	चतुर्थ वित्त	2013–14	19	7656050	7652065	19	..
		2014–15	16	11413100	8545916	16	..
		2015–16	20	8117300	8084881	16	4
2	13 वीं. वित्त	2014–15	15	2077394	2040437	15	..
3	14 वीं. वित्त	2015–16	11	2774800	2771463	11	..
4	बी.आर.जी.एफ.	2013–14	13	2176042	1942100	13	..
		2014–15	6	677700	646636	6	..
		2015–16	13	3475200	3451568	13	..
5.	राज्य योजना	2015–16	24	35667300	33172163	..	24
		कुल	137	74034886	68307209	109	28

(ख) जिला योजना समिति से पारित नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 274 एवं 275 के अनुसार सभी योजना जिला योजना समिति से पारित होना चाहिए । बिना जिला योजना समिति के पारित के कार्य कराया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अभीतक जिला योजना समिति से पारित नहीं कराया जाता था। अब इसे बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा ।

भविष्य में जिला योजना समिति से पारित कराकर ही योजना कार्यान्वित कराया जाए ।

(ग) अपूर्ण योजना

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 में कुल 137 योजना कार्यान्वित हुई है जिसमें 109 योजना पूर्ण दर्ज है एवं 28 योजना पूर्ण नहीं है ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया किअपूर्ण योजना को शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा ।

(घ) संवेदक को अनियमित अग्रिम–रू. 2.81 करोड़

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 24 योजनाएँ ली गयी थी जिसकी कुल प्राक्कलित राशि रू. 35667300 अग्रिम रू. 28105000 एवं मापी की राशि रू. 33172163 है। संवेदक को अग्रिम दिया जाना अनियमित है। अवलोकन में यह भी पाया गया कि संवेदक से आवश्यक कर कटौती के पश्चात् भुगतान करना है परंतु किसी भी योजना में कर की कटौती के बगैर भुगतान किया गया है ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा अंतिम विपत्र प्रस्तुत करने के लिए वैट, सुरक्षित जमा राशि, आयकर, लेबर शेष, रॉयल्टी एवं दी गई अग्रिम की वसूली एवं समायोजन कर लिया जाएगा ।

अग्रिम समायोजन करने तक अग्रिम राशि रू. 28105000 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका 9: कम/नहीं जमा

दैनिक संग्रह पंजी का मिलान बैंक पासबुक से करने पर पाया गया कि दो कर संग्राहकों द्वारा राशि रू. 478969.07 की वसूली की गयी थी जिसके विरूद्ध मात्र राशि रू0 414433 ही बैंक में जमा किया गया था तथा शेष राशि रू. 64536.07 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था । विवरण नीचे है:

रसीद सं. व दिनांक	वसूली गई राशि रू.	जमा की गई राशि रू.	कम/नहीं जमा राशि रू.	कर संग्रहाक का नाम
3403 से 3407/1.4.14 से 25.4.14	59907.70	59363	544.70	श्री सोहन कुमार दास
4963 से 4982/1.7.15 से 29.7.15	20076.00	20000.00	76.00	
6628 से 6830/1.3.16 से 30.3.16	208152.00	185000.00	23152.00	
6831 से 6849/1.4.16 से 20.4.16	21694.00	0	21694	
2620/8.4.12 2700/31.1.15 4701/31.1.15 से 4708/31.1.15	53953.37	72000.00	19069.37	श्री राजीव पाठक
4709/31.1.15 से 4833/31.1.15	106337.00	45000.00		
5601/2.11.15 से 5611/2.11.15	8849.00	33070		
कुल	478969.07	414433	64536.07	

हालॉकि, आपत्ति निर्गत के पश्चात राशि रू. 45470 दिनांक 25.04.16 एव रू. 19070 दिनांक 26.04.16 को एस0बी0आई0 अमरपुर के खाता सं0-32099636544 में जमा कर दिया गया एवं जमा का बैंक चलान दिया गया परन्तु बैंक पासबुक में जमा नहीं उपलब्ध कराया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(187)

कंडिका 10: बकाया मोबाइल टावर शुल्क रू. 4.36 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद क्षेत्रअन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में 30000 तथा वार्षिक नवीकरण शुल्क रू0 8000 प्रति टावर प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार इस नियमावली के प्रभावित होने के पूर्व के स्थापित टावर को उपरवर्णित पंजीकरण फीस जमा करना होगा एवं नवीकरण फीस टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। नियम 6(3) के अनुसार नवीकरण शुल्क में प्रत्येक 5 वर्ष बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। नियम 6 (4) के अनुसार टावर पर लगाये गए प्रत्येक ऐंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा। नियम 6(5 व 6) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एकमुश्त आवेदन की स्वीकृति के तुरंत बाद भुगतान किया जाएगा। अगर पंजीकरण के 30 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। नियम 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से ब्याज उपार्जित एवं देय होगा ।

कार्यालय नगर पंचायत अमरपुर द्वारा मोबाइल टावर की मांग तथा वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है। मोबाइल टावर संचिका के अवलोकन में पाया गया कि 2012 के बाद कार्यालय द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है कि नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत कितना मोबाइल कंपनी अधिष्ठापित है। नगर पंचायत द्वारा मांग एवं वसूली विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि कुल मोबाइल कंपनियों पर कुल रू. 388000 बकाया था ।

उपर्युक्त बिन्दुवार आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि बकाया राशि की वसूली शीध्र कर ली जाएगी एवं सेवाकर की राशि वसूली कर ली जाएगी ।

अतः राशि रू. 388000 वसूलनीय है।

कंडिका 11: विलोपित

कंडिका 12: स्वीकृत बल/कार्यरत बल

कार्यालय नगर पंचायत अमरपुर द्वारा स्वीकृत बल/कार्यरत बल की सूची लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गयी अवलोकन में पाया गया कि सूची में स्वीकृत बल अनुपलबध बताया गया एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या 12 थी । सूची में उल्लेख किया गया कि सभी कर्मी को मानदेय /दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य संपादन हेतु रखा गया है ।

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. स्वीकृत बल की प्रति लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि स्वीकृत बल की प्रति सरकार से मांग किया जाएगा ।

इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

कंडिका 13: असमायोजित अग्रिम रू. 3.33 लाख

कार्यालय नगर पंचायत, अमरपुर वर्श 2013–14 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा के कम में अग्रिम पंजी एवं अग्रिम सूची के नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 20.3.16 /31.3.16 तक प्रस्तुत अग्रिम की सूची में दर्ज विभिन्न कर्मचारियों/पार्षदों को दी गयी अग्रिम रू. 332600 का समायोजन लंबित है ।

अग्रिम विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2004 से ही दी गई अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि समायोजन किया जाएगा ।

मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

कंडिका 14: बकाया मकान कर रू. 20.02 लाख

कार्यालय नगर पंचायत, अमरपुर वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा में मकान कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी/संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। बकाया मकान कर की विवरणी प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार वर्श 2015–16 तक कुल रू. 2002651 बकाया मकान कर के रूप में है विवरणी निम्नवत् है:

वर्ष	बकाया मांग	इस वर्ष की मांग	कुल मांग	कुल वसूली	बकाया
2013–14	2957572.96	596533.28	3554106.24	141655	3412451.24
2014–15	3412451.24	596533.28	4008984.52	1581095	2427889.52
2015–16	2427889.52	596533.28	3024422.80	1021771	2002651.80

अंकेक्षण टिप्पणी:

1. मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
2. बकाये राशि की वसूली की कार्रवाई से अवगत कराया जाय।
3. मकान कर की बकाये राशि वसूली हेतु लंबित था।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है । कर्मियों के अभाव में मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया है ।

मांग एवं वसूली पंजी का संधारण अविलम्ब किया जाय/बकाया राशि की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जाय ।

185

भाग– III

कंडिका 1: नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति का गठन करना है ।

परंतु इस नगर पंचायत में इसका गठन अबतक नहीं हुआ था ।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा बताया गया कि गठन हेतु बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा ।

नगरपालिका लेखा समिति का गठन अतिशीघ्र किया जाए ।

कंडिका 2: करों, उपभोक्ता शुल्क, शुल्क एवं दण्ड का अधिरोपण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127, 128 व 129 में करों, उपभोक्ता शुल्क, शुल्क एवं दण्ड का अधिरोपण करने का प्रावधान है ।

नगर पंचायत द्वारा धारा 127 के अंतर्गत मात्र सम्पत्ति कर, मोबाईल टावर टैक्स, जल कर का ही अधिरोपण किया गया था । शेष नौ प्रकार का कर का अधिरोपण नहीं किया गया था ।

धारा 128 के अंतर्गत 5 में से किसी भी प्रकार का उपभोक्ता शुल्क का अधिरोपण नहीं किया गया था ।

धारा 129 के अंतर्गत 4 में से मात्र जन्म एवं मृत्यु का शुल्क एवं दण्ड अधिरोपित था । शेष तीन प्रकार का शुल्क एवं दण्ड अधिरोपित नहीं था ।

कर, उपभोक्ता शुल्क, शुल्क एवं दण्ड के अधिरोपण नहीं होने से नगर पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही थी ।

आपत्ति के आलोक मे कार्यालय द्वारां बताया गया कि शेष करों, उपभोक्ता शुल्क, शुल्क एवं दण्ड के अधिरोपण के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा ।

उपरोक्त का अधिरोपण अतिशीघ्र किया जाए जिससे कि राजस्व की प्राप्ति हो।

कंडिका 3.वार्षिक लेखा, वित्तीय विवरण, तुलन–पत्र

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 86, 87 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नगरपालिका के द्वारा आय–व्यय संबंधी वार्षिक लेखा तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 88 के प्रावधान के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष की नगरपालिका की लेखा से संबंधित आय और व्यय लेखा तथा तुलन पत्र वर्ष की समाप्ति के चार महीने के अंदर तैयार करेंगे एवं धारा 89 के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार किया जाना है।

कार्यालय नगर पंचायत अमरपुर द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक का वार्षिक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

जवाब में बताया गया कि वार्षिक लेखा, वित्तीय **विवरण**, तुलन पत्र का संधारण किया जाएगा।

कंडिका 4: **बुडा को हस्तांतरित राशि**

रोकडबही की नमूना जांच में पाया गया कि राशि रू. 4887775 कार्यपालक अभियंता, जिला भाहरी विकास अभिकरण, बॉका को हस्तांतरित किया गया था:

क.सं.	चेक सं.व दिनांक	हस्तांतरित राशि	उद्देश्य
1.	000847 / 14.4.15	28887875	नगर सरकार भवन निर्माण
2.	264239 / 4.6.15	2000000	सम्राट अशोक भवन निर्माण
	कुल	48887875	

हस्तांतरित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, व्यय विवरणी आदि को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब में बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन की मांग की जाएगी ।
इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ।

–हस्ता0–
(अमर नाथ कुमार)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना

नगर पंचायत अमरपुर (बाँका)

अवधि - 2013-14 से 2015-16

परिशिष्ट - I

कंडिका सं०-3, भाग-I

प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/पंजियों की सूची :-

1. सामान्य रोकड़ पंजी
2. आवंटन पंजी
3. बजट संचिका
4. होल्डिंग/विविध रसीद एवं भंडार पंजी
5. दैनिक संग्रह पंजी
6. कोषागार पास बुक
7. पंजी/योजना संचिका (आंशिक)
8. बैंक पास बुक (आंशिक)
9. मोबाईल टावर संचिका
10. अग्रिम पंजी

AAO

नगर पँचायत अमरपुर (बाँका)

अवधि - 2013-14 से 2015-16

परिशिष्ट - II

कंडिका सं० - 3, भाग - I

प्रस्तुत नहीं किए गए, असंधारित, अधूरा संधारित अभिलेखों / पंजियों की सूची :-

1. रोकड़ पाल रोकड़ पंजी
2. अनुदान पंजी एवं अनुदान विनियोग पंजी
3. खैरात संचिका / पंजी / सूची
4. संपदा पंजी
5. लॉग बुक
6. बैंक पास बुक (आंशिक)
7. मांग एवं वसूली पंजी
8. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन
9. नक्सा पंजी
10. दूकान संबंधित संचिका / मांग वसूली
11. सामाग्री की भंडार पंजी

AAO

परिशिष्ट - III

(भाग - II खण्ड 'ख' - के कंडिका संख्या 1 के संदर्भित)

सफाई संस्था को भुगतान की विवरणी

क्र०सं०	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि	अवधि	मासिक राशि (एकरारनामा की)	ट्रैक्टर ड्राईवर	जे०सी०बी० ऑपरेटर	JCB डीजल	विशेष अवसर पर व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	19.11.14	298190	18.9.14 से 6.11.14	283826	8400	2000	3964		
2.	13.12.14	148637	7.11.14 से 30.11.14	136237	4000	8400			
3.	8.1.15	185950	दिसम्बर 2014	170250	5200	10500			
4.	5.2.15	184450	जनवरी 2015	170250	5200	9000			
5.	27.2.15	183900	फरवरी 2015	170200	5200	8500			
6.	30.3.15	183950	मार्च 2015	170250	5200	8500			
7.	30.4.15	201630	अप्रैल 2015	187930	5200	8500			मजदूरी वृद्धि 30 मजदूर का
8.	19.5.15	66300	मार्च 2015	66300	—	—			
9.	30.5.15	201630	मई 2015	187930	5200	8500			
10.	24.7.15	201630	जून 2015	187930	5200	8500			
11.	14.8.15	201630	जुलाई 2015	187930	5200	8500			
12.	28.8.15	201630	अगस्त 2015	187930	5200	8500			
13.	28.8.15	14500	अगस्त 2015	—	—	—	—	14500	श्रावणी मेला
14.	31.8.15	194148	अगस्त 2015	—	—	—	—	194148	30.7.15 से 31.8.15 तक श्रावणी मेला में शिवपूजन स्वास्थ्य, पटना को
15.	14.10.15	193130	सितम्बर 2015	187930	5200	—	—	—	
16.	7.11.15	193130	अक्टूबर 2015	187930	5200	—	—	—	
17.	23.12.15	193130	नवम्बर 2015	187930	5200	—	—	—	
कुल		30,47,565		26,70,753	74,800	89,400	3964	208648	

Rajeev

परिशिष्ट–IV
लेखापरीक्षा का परिणाम
(कंडिका सं0 –11 भाग–I से संबंधित)

क्र0सं0	कंडिका सं0(भाग–IIख)	वसूली गयी राशि(₹)	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि(₹)	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि(₹)
1	1	–	405320	–
2	2	–	53120	–
3	3	–	36900	–
4	4	–	447399	–
5	5	–	2684394	–
6	6	–	203344	–
7	7	–	416385	–
8	8	–	–	28105000
9	9	64540	–	–
10	10	–	388000	–
11	11	–	–	415107
	कुल	**64540**	**4634862**	**28520107**